डा0 अनिल नेगी
क्रय अधिकारी
प्रशासनिक निदेशालय

फोन : 0135 - 2224863
फैक्स : 0135 - 2750297

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
डाकघर नव वन, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)

पत्रांक सं0 01/तरूचिंतन/प्रशा0/भा0वा0अ0शि0प0/2014—15 दिनांक 06.06.2014

सेवा में,

विषयः भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, वार्षिक हिन्दी पत्रिका तरूचिंतन के मुद्रण के लिये मोहरबन्द निविदा आमंत्रण हेतु।

महोदय,

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, वार्षिक हिन्दी पत्रिका तरूचिंतन के मुद्रण हेतु प्रतिष्ठित मुद्रकों से निविदा दस्तावेज में दिए गए नियमों एवं शर्तो के अनुसार मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते है।

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथी एवं समय	:	27.06.2014 सायं 3 बजे तक
निविदा खुलने की तिथी एवं समय	:	27.06.2014 सायं 4 बजे

निविदादाता/बोलीदाता निविदा खुलने की उक्तलिखित तारीख एवं समय में अपना प्रतिनिधि भेज सकते है।

अनुलग्नकः

निविदा के (11 पृष्ठ) जिसमें परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 के साथ बोलीदाताओं के लिये कार्य क्षेत्र, नियम और शर्ते, अनुबंध, भुगतान की शर्तो और मध्यस्थता, अनुबंध वाले दस्तावेज के निर्देश दिये गये हैं।

संलग्नः प्रप्रत्र

अनिल नेगी
(डा0 अनिल नेगी)
क्रय अधिकारी

<u>प्रतिः—</u>

1. सहा0 महानिदेशक (मीडिया एवं विस्तार), भा0वा0अ0शि0प0, दे0दून
2. प्रमुख, सू0प्रौ0, भा0वा0अ0शि0प0: कृपया वार्षिक हिन्दी पत्रिका तरूचिंतन के मुद्रण के सम्बन्ध में संलग्न निविदा दस्तावेज को भा0वा0अ0शि0प0 के वेब साइट में अपलोड करने की कृपा करें
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, भा0वा0अ0शि0प0, देहरादून

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्

पो. ओ. नव वन, देहरादून– 248 006

उत्तराखण्ड

भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन" के मुद्रण के लिए मर्यादित निविदा पूछताछ

मर्यादित निविदा दस्तावेज सं.– 02/पी.ओ./तरूचिंतन/प्रशासन/भा.वा.अ.शि.प./2014–15 दिनांक 06.6.2014

मुद्रण सुविधाओं वाली प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबन्द दरें आमंत्रित की जाती हैं निविदा कार्यक्रम तथा नियम एवं शर्तें निम्नलिखित होंगी :

1. निविदा कार्यक्रम

निविदा के प्रस्तुत करने का अन्तिम समय तथा दिनांक	:	27.06.2014 को 3:00 अपराह्न तक
तकनीकी प्रस्ताव के लिए निविदा के खुलने का समय तथा दिनांक	:	27.06.2014 को 4:00 अपराह्न तक
पूर्ण रुप से भरे हुए निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करें	:	सहायक महानिदेशक प्रशासन निदेशालय भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्, पो. ओ. नव वन, देहरादून, 248006 उत्तराखण्ड

- निविदा को बोलीदाता की उपस्थिति या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। यदि कोई हो तो
- निविदा को आंशिक या पूर्ण रुप से सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प., के निर्णय के अनुसार बिना कोई कारण बताए संशोधित या समाप्त किया जा सकता है।
- बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करते समय निविदा दस्तावेज की आवश्यकता के अनुसार सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

निम्नतम 12 महीने की वैधता के साथ रू० 10,000 की बयाना राशि

2. बोलीदाता को निर्देश

(ए) संलग्न **परिशिष्ट 1–3** में फारमेट में भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन" विषयक पुस्तक के मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए निविदा दी जाए।

(बी) निविदा को दो भागों में प्रस्तुत किया जाए यथा **"तकनीकी बोली"** तथा **"आर्थिक बोली"** में तथा दो मोहरबन्द अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत किया जाए तथा यथानुसार ऊपर लिखा होना चाहिए।

(सी) पूरी तरह से भरे हुए निविदा दस्तावेज परिशिष्ट इत्यादि के साथ जैसा कि उपर्युक्त वर्णित है विशिष्ट अन्तिम दिनांक तक या उससे पहले प्रस्तुत करने है :

सहायक महानिदेशक
प्रशासन निदेशालय
भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्,
पो. ओ. नव वन, देहरादून, 248006
उत्तराखण्ड

(डी) बोलीदाता को निविदा में **परिशिष्ट – I** में फर्म सहभागिता की प्रोफाइल का विस्तृत विवरण देना होगा।

(ई) बोलीदाता के लिए जाँच सूची :

- **प्रथम लिफाफे** में तकनीकी प्रस्ताव रखना चाहिए तथा बड़े अक्षरों में **"तकनीकी प्रस्ताव"** लिखा होना चाहिए।

(I) **परिशिष्ट – 1 तथा 2**, को पूरी तरह भरा जाए तथा साथ में सहायक दस्तावेज भी लगाए जाए।

(II) आधुनिक बुनियादी ढाँचे तथा अन्य सुविधाओं के साथ आफसेट मुद्रण के अपने ढाँचे का प्रमाण।

(III) फर्म के संदर्भ में सही आई.एस.ओ./सरकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(IV) आयकर विभाग के द्वारा जारी किये गये पी.ए.एन./टी.ए.एन. का प्रमाण पत्र।

(V) बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक या एफ.डी.आर. या एक राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी के रुप में ` 10,000 (` दस हजार मात्र) की **बयाना राशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प.** को देय होनी चाहिए। बिना ब्याना राशि के प्रस्तुत निविदा को अवैध घोषित किया जायेगा।

- <u>दूसरो लिफाफे</u> में आर्थिक प्रस्ताव जो **परिशिष्ट – 3** में है, होना चाहिए तथा ऊपर बड़े अक्षरों में **"आर्थिक प्रस्ताव"** लिखा होना चाहिए।

3. कार्य क्षेत्र

(ए) भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन" विषयक पुस्तक का डिजाइनिंग, अभिन्यास, योजना तथा मुद्रण उच्चतम गुणवत्ता का होना चाहिए। आवरण पृष्ठ तथा पाठ्य भाग पृष्ठों के मुद्रण के लिए दरें अलग से उद्धत की जानी चाहिए।

(बी) भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन" की 50 पुस्तकों का मुद्रण निम्नलिखित विशिष्टताओं के साथ होना चाहिए।

(I) आकार – A4 (रंगीन)

(II) 160 – 200 पाठ्य पृष्ठ

(III) उत्कृष्ट गुणवत्ता मैट पेपर 100 जी.एस.एम. पर पाठ्य पृष्ठ

(IV) उत्कृष्ठ गुणवत्ता मैट पेपर 300 जी.एस.एम. पर आवरण पृष्ठ

(V) आवरण पर लैमीनेशन – मैट – लेजर

(VI) बाइनडिंग – परफैट

(VII) वेब/पोर्टल में अपलोड करने के लिए पी.डी.एफ. फोरमेट में डिजिटल कॉपी

(सी) **भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन"** जो कि पी.डी.एफ. फोरमेट में हो, भा.वा.अ.शि.प. वेबसाईट पोर्टल पर अपलोड करने के लिए मास्टर सी.डी. उपलब्ध करवानी होंगी तथा प्रत्येक फाईल आकार में 2 एम.बी. से कम होनी चाहिए।

(डी) एक अंतिम रंगीन प्रारूप सहायक महानिदेशक (मीडिया एवं विस्तार), भा.वा.अ.शि.प. को उपलब्ध करवाया जायेगा तथा रंगीन प्रारूप के अनुमोदन के पश्चात् ही पत्रिका का मुद्रण किया जायेगा।

(ई) मुद्रित पुस्तक/पत्रिका को पूर्ण रूप से निधारित किये गये समय में उपलब्ध करवाना होगा। समय के विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(एफ) बोलीदाता कृप्या नोट करें

- भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन" भा.वा.अ.शि.प., द्वारा सामग्री मुद्रक को हार्ड कापी तथा साफ्टकापी में सहायक महानिदेशक, (मीडिया एवं विस्तार), भा.वा.अ.शि.प. द्वारा दी जायेगी। हार्ड कापी में दी गई सामग्री ही सभी उद्देश्यों के लिए वैद्य मानी जायेगी।
- प्रूफ रीडिंग बोलीदाता के द्वारा की जायेगी। सहायक महानिदेशक, मीडिया एवं विस्तार, प्रूफ को अनुमोदित करेंगे। पत्रिका का अंतिम मुद्रण अंतिम प्रारूप के अनुमोदन के पश्चात् ही बोलीदाता द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा।
- भा.वा.अ.शि.प. सामग्री में किसी भी अवस्था पर सुधार करने का अधिकार रखता है।
- मुद्रक अन्तिम अनुमोदित प्रूफ से गलती/अन्तर के लिए उत्तरदायी होगा। एक बार सही की गई गलती अगले प्रूफ में चेक नहीं होगी तथा यदि गलती होती है तो पूरी जिम्मेदारी मुद्रक की होगी तथा जुर्माना भरना होगा।
- टंकण में की गलतियों या शब्द के छूटने पर होने वाले व्यर्थ समय को भी गिना जाएगा तथा इस संदर्भ में समय का विस्तार नहीं किया जायेगा।
- मुद्रकों का मूल्यांकन तथा चयन पिछले पांच वर्ष की अवधि में उनके द्वारा किये गये कार्यों के नमूनों के आधार पर किया जायेगा।

4. सामान्य नियम तथा शर्तें

(ए) प्रकाशन के मुद्रण के लिए निविदा दो भागों यथा– **तकनीकी प्रस्ताव** तथा **आर्थिक प्रस्ताव** दो अलग–अलग मोहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत होना चाहिए तथा तदानुसार ऊपर लिखा होना चाहिए।

(बी) मूल्य अंकों तथा शब्दों दोनों में **परिशिष्ट – 3** में लिखे होने चाहिए। दोनों में मतभेद होने पर जो शब्दों में लिखा होगा मान्य माना जायेगा।

(सी) कागजों के नमूने तकनीकी बोली में उपलब्ध करवाने होगे।

(डी) दी गई दरे भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्, पो. ओ., नव वन, देहरादून – 248006 के लिए दी जाए। दी गई दरे सभी करों सहित होंगी

(ई) फर्मों को पिछले तीन वर्षों में निष्पादित किये गये कार्य के उत्कृष्ठ नमूने भी प्रस्तुत करने होगे।

(एफ) केवल वे ही फर्मे जिनके पास क्लाज 3 – कार्य का क्षेत्र में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार अनुभव है बोली लगाने के योग्य है। इस तर्क के पक्ष में प्रमाण को तकनीकी बोली के साथ **परिशिष्ट – 2** में प्रस्तुत करना होगा।

(जी) निविदा के साथ एक बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक या राष्ट्रीयकृत बैंक की **रू0 10,000** की एफ.डी.आर. जोकि **आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून को देय** हो बयाना धन राशि के रुप में होनी चाहिए। बयाना धन राशि के बिना प्रस्तुत निविदा को अवैद्य घोषित किया जायेगा।

(एच) बोली को प्रस्तुत करते समय निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठ निविदा भरने वाली फर्म द्वारा हस्ताक्षरित तथा मोहर लगी हुई होनी चाहिए।

(आई) बोलीदाता का अपना बुनियादी ढाँचा होना चाहिए जो कि भा.वा.अ.शि.प. द्वारा सत्यापन के लिए निरीक्षित किया जायेगा।

(जे) किसी बोलीदाता का सूची बद्ध होना बोलीदाता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(के) बोली प्रस्तुत करते हुए, यह समझा जायेगा कि बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज में दी गई सभी नियम व शर्तो को पढ़, समझ तथा स्वीकार कर लिया है।

(एल) बोलीदाता को फर्म/कार्यालय का पूरा पता बताना होगा तथा सम्पर्क करने वाले व्यक्तियों के नाम सहित काम तथा उनके दूरभाष/ फैक्स/ ई–मेल/ मोबाइल तथा अन्य विवरण जैसा **परिशिष्ट – 1** में है, प्रारुप के अनुसार देना होगा।

(एम) यह प्रस्ताव कार्य आदेश के जारी होने की तिथि से 12 माह की अवधि के लिए वैद्य होगा।

(एन) सशर्त निविदाओं को निरस्त किया जा सकता है।

(ओ) टेलेक्स, टेलीग्राम तथा फैक्स के द्वारा प्रस्तुत बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

(पी) किसी भी विवाद पर, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., विवाद का फैसला करेगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों पर लागू होगा।

(क्यू) किसी भी दावे की कोई भी वैधानिक प्रक्रिया तथा कार्य अनुबन्ध से होने वाले किसी भी विवाद को देहरादून, उत्तराखण्ड के सक्षम न्यायाधिकार क्षेत्र में ही देखा जायेगा।

(आर) सफल बोलीदाता को महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के पक्ष में प्रदर्शन गारंटी के रुप में अनुबन्ध मूल्य के 15% के बराबर राशि जमा करवानी होगी। प्रदर्शन गारंटी, बैंक गारन्टी तथा राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रुप में होगी। प्रदर्शन गारन्टी, पत्र जारी होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति पत्र सहित प्रस्तुत होनी चाहिए। प्रदर्शन गारन्टी मुद्रित सामग्री की पूर्ण तथा संतोषजनक सुपुर्दगी के सुनिश्चित होने के पश्चात विमोचित की जायेगी।

(एस)यदि बोलीदाता कार्य की अवधि के भीतर किसी भी प्रकार से बोली से पीछे हटता है, हानि पहुँचाता है या अप्रतिष्ठित करता है तो बयाना धन राशि को जब्त कर लिया जायेगा। यदि सफल बोलीदाता दिये गये समय के भीतर प्रदर्शन गारंटी देने में असफल रहता है तो भी बयाना धन राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।

(टी) सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प., देहरादून, बिना कोई कारण बताये निम्नलिखित पर अधिकार सुरक्षित रखते है :

(I) पूर्ण प्रस्ताव को या उसके किसी भाग को स्वीकार या निरस्त करने का।

(II) आंशिक या पूर्ण रुप से सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का।

(III) निविदा सूचना को निरस्त करने या पीछे हटने का।

(IV) इन शर्तो में से किन्हीं भी विचलनों को स्वीकार या निरस्त करने का।

5. कार्य का कार्यक्रम

(ए) मुद्रक को भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन" के स्वीकार्य आदेश तथा पाठ्य सामग्री तथा चित्रों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर प्रेस प्रूफ (मुद्रक द्वारा प्रूफ रीडिंग के पश्चात्) प्रस्तुत करना होगा।

(बी) किसी भी संशोधन की दशा में, संशोधित प्रूफ की संख्या पर ध्यान दिये बिना संशोधित प्रूफ को प्रत्येक दशा में भा0वा0अ0शि0प0 द्वारा संशोधन के संचार से तीन दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा

(सी) भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन" की विधिवत बाध्य 500 प्रतियां प्रेस प्रूफ के अनुमोदन की सूचना के 5 दिनों के भीतर सुपुर्द करनी होगी।

(डी) समय इस अनुबन्ध का मुख्य तत्व है। अतः किन्ही भी कारणों से उपर्युक्त वर्णित कार्य में समय का विस्तार नहीं किया जायेगा।

6. अर्हता आवश्यकताएं तथा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

(ए) फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा प्रमाण पत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना है जो पिछले पाँच सालों से फर्म के अस्तित्व को प्रमाणित करता हो।

(बी) संलग्न **परिशिष्ट – 1 तथा 2** में मांगी गई सूचना केवल दिये गये प्रारुप में ही भरी जाए तथा आवश्यक दस्तावेज भी दिए जाए। यह भी नोट किया जाए कि केवल सहायक दस्तावेजों को परिशिष्ट 1 तथा 2 में मांगी गई जानकारी के विकल्प के रुप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(सी) तकनीकी बोली के साथ विक्रय कर/वैट इत्यादि जो कि नवीनतम आकलन वर्ष के लिए अदा की गई हो आयकर विभाग के द्वारा फर्म को जारी किये पैन/टैन, प्रावाधान के अनुसार विक्रय कर विभाग के वर्कस कान्ट्रैक्ट प्रकोष्ठ द्वारा जारी कर निकासी प्रमाण पत्र तथा पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए कारपोरेट कर निकासी प्रमाण पत्र की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ देनी है।

(डी) बोलीदाता को 12 महीने के लिए वैद्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी भा.वा.अ.शि.प. के पक्ष में देहरादून में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफ.डी.आर./बैंक गारंटी/ बैंकर्स चेक के रुप में **रू0** 10,000 बयाना राशि जमा करानी है। बयाना राशि की अनुपस्थिति में निविदा को तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा। बयाना धनराशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। उन बोलीदाताओ के अतिरिक्त जिनकी तकनीकी बोली स्वीकार कर ली गई है सभी बोलीदाताओं की बयाना धनराशि तकनीकी बोली के अंतिम रुप प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर लौटा दी जायेगी। सफल बोलीदाता की बयाना धन राशि आवश्यक प्रदर्शन गारन्टी के प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के भीतर वापिस लौटा दी जाएगी।

(ई) बोली के साथ दिया गया निविदा दस्तावेज बोलीदाता के द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक पृष्ठ तथा फर्म की मोहर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(एफ) बोलीदाता आर्थिक प्रस्ताव को विशिष्ट **परिशिष्ट – 3** में प्रस्तुत करेगा तथा इसे एक अलग मोहरबन्द लिफाफे में रखकर ऊपर **"आर्थिक प्रस्ताव"** लिखेगा।

7. अनुबन्ध के संदर्भ में

(ए) यदि अनुबन्ध का कोई भाग किसी दूसरे भाग से सहमत नहीं होता या अनुबन्ध की शर्तों के सम्बन्ध या कार्य के प्रदर्शन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. मामले को देखेगें तथा उनका निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर लागू होगा।

(बी) यह अनुबन्ध जब दोनों पक्षों द्वारा किया जायेगा, तो यह दोनों पक्षों के बीच में इसके अंदर वर्णित कार्यों के सम्बन्ध में पूर्ण अनुबन्ध होगा और यहां पर उल्लिखित दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा जब तक कोई कथित संशोधन लिखित में भा.वा.अ.शि.प. और फर्म द्वारा निष्पादित नहीं किया जायेगा।

(सी) अनुबन्ध को पूर्ण रुप से या भागों में फर्म के द्वारा सहायक महानिदेशक (प्रशासन) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी दूसरे को नहीं सौंपा जायेगा। सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प., की पूर्व अनुमति के बिना इस अनुबन्ध को निर्दिष्ट या किसी दूसरे को सौंपा गया या किसी और कारण से या किसी बकाया राशि या शर्तों के कारण कोई भी देय आमन्य माना जायेगा।

(डी) यदि बोलीदाता की सेवाएं असंतोषजनक या अन्यथा पाई जाती है तो सहायक महानिदेशक (प्रशासन) एक सप्ताह के नोटिस पर अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार रखते है।

(ई) मुद्रित सामग्री को सफल बोलीकर्ता के द्वारा कोई परिसम्पति नहीं समझा जायेगा।

8. भुगतान शर्ते

(ए) भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन" के लिए बिल मुद्रित पुस्तकों की विशिष्ठ संख्या की आपूर्ति तथा कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सहायक महानिदेशक (मीडिया एवं विस्तार), भा.वा.अ.शि.प. को सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(बी) अनुबन्ध के कार्यान्वयन से उत्पन्न कर शुल्क तथा सांविधिक उदग्रहण जो कि सरकार द्वारा लगाए जाते है भा.वा.अ.शि.प. ऐसे करो की कटौती करेगी।

(सी) भुगतान टी.डी.एस / सेवा कर आयकर के नियमों / कानूनों के अनुसार कटौती अधीन होगा।

(डी) भुगतान राशि जैसा की अनुबन्ध में दिया गया है, मुद्रित सामग्री के पूर्ण तथा संतोषजनक सुपुर्दगी तथा सहायक महानिदेशक (मीडिया एवं विस्तार), भा.वा.अ.शि.प. के सत्यापन के पश्चात् विमोचित की जायेगी।

9. जुर्माना

अनुबंध को निष्पादन के किसी भी स्तर पर देरी के लिए, दंड आरोप्य हो जायेगा, जो कि पहले दिन रू0 200/– तथा एक दिन के बाद 100/– प्रतिदिन की दर से काटा जायेगा । अगर देरी 10 दिन से अधिक होती है तो ठेकेदार की ओर से विफलता मानी जायेगी जो परिणामस्वरूप अनुबंध का उल्लंघन माना जायेगा।

यदि बोलीदाता पुस्तक भा.वा.अ.शि.प. की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "तरूचिंतन" का मुद्रण निधारित समय में करने में असफल रहता है तो प्रदर्शन गारंटी को जब्त कर लिया जायेगा तथा कार्य किसी और मुद्रक से करवा लिया जायेगा। यदि भा.वा.अ.शि. प. द्वारा करवाये गये पुस्तक के मुद्रण से मुद्रण का मूल्य बढ़ जाता है तो इस अवस्था में यह जिम्मेदारी उस बोलीदाता की होगी जो कार्य का निष्पादन करने में असफल रहता है। यदि बोलीदाता इन नियमों तथा शर्तो का उल्ल्घन करता है तो प्रदर्शन गारन्टी को पूर्ण या आंशिक रूप से जैसा भी सहायक महानिदेशक (प्रशासन) निर्णय ले, जब्त कर लिया जायेगा तथा अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जायेगा। परफोरमैंस बैंक गारन्टी की जब्ती के अतिरिक्त बोलीदाता किसी भी निविदा में भाग लेने के लिये अगले एक साल के लिये ब्लैक लिस्ट किया जाने योग्य हो जायेगा जिसकी जिम्मेदारी भी बोलीदाता की ही होगी।

10. मध्यस्थता

(ए) सभी शंकाए जो अनुबन्ध के संदर्भ में उत्पन्न होती है या कार्य से सम्बंधित होती है या निष्पादन या इसमे असफलता पर हो चाहे वे वारंटी की अवधि के दौरान या कार्य के पूर्ण होने पर या छोडने के पश्चात् उत्पन्न होते हैं, पर पूरी मध्यस्थता महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. (डी.जी., आई.सी.एफ.आर.ई.), देहरादून द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा ही की जायेगी जिसे वे अपनी ओर से नियुक्त करेगे।

(बी) इस बात पर कोई भी आपति नहीं होगी कि नियुक्त मध्यस्थ भा.वा.अ.शि.प. के कर्मचारी है या सरकारी सेवा में है या उसे उन मामलों को सुलझाना था जिससे अनुबन्ध की समबद्धता है या भा.वा.अ.शि.प. के कर्मचारी के रुप में अपनी सेवाए देने या उन्होने सरकारी सेवा में होने पर विवाद के किसी भी मुद्दे पर अपनी राय दी।

(सी) मध्यस्थ जिससे विवाद सुलझाने के लिए दिया गया हो, का स्थानान्तरण हो जाए या वह अपना कार्यालय छोड रहा हो या किसी भी कारण वश कार्य करने के योग्य ना हो, तो उसे महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. के निर्णय अनुसार अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार एक दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा जो कि मध्यस्थ के रुप में कार्य करेगा। इस व्यक्ति को उसी अवस्था से प्रक्रिया प्रारम्भ करनी होगी जिस अवस्था में उसके पूर्ववर्ती ने कार्य छोडा था।

(डी) यह भी इस अनुबन्ध की एक शर्त है कि महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. के द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति मध्यस्थ का कार्य नहीं कर सकता।

(ई) इस क्लॉज के अधीन विषय जैसे कि पहले कहा गया, है, मध्यस्थता तथा कौन्सीलेशन अधिनियम 1906 के प्रावधानों से बने नियम या कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन तथा उसके अधीन नियम जो कि उस समय लागू होते है, इस क्लॉज के अधीन मध्यस्थता प्रक्रिया में लागू होंगे।

(एफ) अनुबन्ध के अधीन सेवाएं, ऐसी किसी असहमति, पूछताछ या विवाद के होते हुए भी, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेगी और कोई भुगतान भा.वा.अ.शि.प. द्वारा या फर्म के द्वारा देय या भुगतान योग्य हो, को इस कार्यवाही के कारण रोका नहीं जायेगा जब तक ऐसे भुगतान का सीधा सम्बन्ध मध्यस्थता के विषय से न हो। मध्यस्थता को

भेजा जाना किसी अन्य कानून के अन्तर्गतकिसी अन्य कार्रवाई के पूर्ववर्ती होगा।

11. बोलीदाता के लिए दिशानिर्देश

(ए) प्रस्ताव **दो अलग मोहरबन्द लिफाफों में होना चाहिए** जैसा कि निम्नलिखित है :

प्रथम लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए तथा बड़े अक्षरों में ऊपर लिखा होना चाहिए **"तकनीकी प्रस्ताव"**।

(I) ओ.ई.एम. तथा उसके समकक्ष से उद्योग निदेशालय से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण।

(II) बिक्री कर/वैट का प्रमाण।

(III) आय कर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण।

(IV) दायर किये गये आयकर रिटर्न की प्रति/आयकर विभाग के साथ दायर किये गये तुलन पत्र की प्रति तथा तुलन पत्र की प्रति

(V) छः माह के लिए वैद्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के पक्ष में राष्ट्रीय कृत बैंक के द्वारा जारी डी.डी/एफ.डी. आर/बैंकर चैक के रुप में बयाना धन राशि ` 10,000।

(VI) फर्म रजिस्ट्रेशन/साझेदारी कार्य/पावर आफ अटर्नी की प्रति।

(VII) प्रस्ताव के साथ संलग्न परिशिष्ट – 1 तथा 2 पूर्ण रुप से भरे हुए होने चाहिए।

(VIII) तकनीकी विवरण की सहायता में कोई अन्य दस्तावेज।

(IX) बोलीदाता फर्म को पुस्तकों/विवरण पुस्तिकाओं के मुद्रण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। <u>सहायक दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।</u>

(X) निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए बोलीदाता फर्म के प्राधिकारण प्राधिकार पत्र।

(बी) <u>**द्वितीय लिफाफे**</u> में आर्थिक प्रस्ताव **परिशिष्ट** – 3 में होना चाहिए तथा ऊपर बड़ें अक्षरों में **"आर्थिक प्रस्ताव"** लिखना चाहिए।

12. प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

अलग – अलग लिफाफे में आर्थिक तथा तकनीकी प्रस्ताव एक तीसरे लिफाफे में डालने चाहिए तथा मोहरबन्द करने चाहिए उसके पश्चात कवर पर **"आर्थिक प्रस्ताव"** तथा **"तकनीकी प्रस्ताव"** लिखना चाहिए। इस लिफाफे पर स्पष्ट रुप से यह लिखना चाहिए "केवल समिति द्वारा **27.06.2014 को 4:00 बजे खोला जाए"**।

प्रस्ताव में कोई इंटरलाइनेशन या अधिलेखन न हो जब तक सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सुधार करना आवश्यक न हो। इन मामलों में ऐसे सुधारों पर व्यक्ति या व्यक्तियों का हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए जो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर रहे हो। पूर्ण प्रस्ताव दिये गये समय तथा तिथि से पहले सुपुर्द किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर तथा सील करना सुनिश्चित करें।

13. प्रस्तावों का मूल्यांकन

एक त्रिस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी

(I) अवस्था – 1 तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन

तकनीकी प्रस्ताव लिखित लिफाफे में तकनीकी तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण बोली के साथ इस अवस्था में किया जायेगा तथा इन दस्तावेज में कमी प्रस्तुत प्रस्ताव को पूर्ण रुप से निरस्तीकरण की ओर ले जायेगा।

तदुपरांत तकनीकी मूल्यांकन फर्म के प्रासंगिक अनुभव तकनीकी जन शक्ति (योग्यता, उपलब्धता तथा अनुभव) तथा आवश्यक बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता तथा प्रस्तुत नमूनों की उपलब्धता पर आधारित होगा। कुल तकनीकी स्कोर (एस.टी.) 100 का होगा तथा 100 में से 70 अंक आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन की योग्यता होगा।

(II) अवस्था – 2 आर्थिक प्रस्ताव का मूल्यांकन

इस संदर्भ में नियुक्त मूल्यांकन समिति निर्धारित करेगी कि क्या आर्थिक प्रस्ताव पूर्ण तथा बिना अभिकलानात्मक गलतियों के है। निम्नतम आर्थिक प्रस्ताव (एफ.एम.) को 100 अंकों का आर्थिक स्कोर (एस.एफ.) दिया जायेगा। अन्य प्रस्तावों का आर्थिक स्कोर इस प्रकार से परिकलित किया जायेगा।

SF-100XFM/F (जहां F आर्थिक प्रस्ताव की राशि तथा FM निम्नतम आर्थिक प्रस्ताव है)

(II) अवस्था – 3 बोली का अन्तिम मूल्यांकन

मूल्यांकिन प्रस्तावों को अन्तिम रुप से उनके संयुक्त तकनीकी (एस.टी) तथा आर्थिक (एस.एफ) स्कोर के साथ भारों SF= St x T% + Sf x F% का प्रयोग करते हुए रैंक दी जायेगी।

भार (T%) जो तकनीकी प्रस्ताव को दिया गया है 65% है।

भार (F%) जो आर्थिक प्रस्ताव को दिया गया है 35% है।

कार्यादेश सफल बोलीदाता को सहायक महानिदेशक (मीडिया एवं विस्तार), भा.वा.अ.शि.प., देहरादून द्वारा प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने के पश्चात् दिया जाएगा।

सहायक महानिदेशक
प्रशासन निदेशालय
भा.वा.अ.शि.प., देहरादून

नोट – हिन्दी या अंग्रेजी में किसी भी प्रकार का वैभिन्य होने पर अंग्रेजी संस्करण ही विधिमान्य होगा।

फर्म का विवरण

1.	कम्पनी का नाम	:	....
2.	प्रमुख / रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता		
	अ) पोस्टल	:	....
	ब) फैक्स सं.	:	....
	स) दूरभाष संख्याएं	:	....
	ड) ई–मेल पता	:	....
	ई) वेबसाइट पता	:	....
3.	कम्पनी का पूर्व नाम (यदि कोई है)	:	....
4.	देहरादून कार्यालय पता		
	अ) पोस्टल	:	....
	ब) फैक्स सं.	:	....
	स) दूरभाष सं.	:	....
	ड) ई–मेल पता	:	....
5.	संस्था का प्रकार	:	एकल / सांझेदारी / निगमित
6.	(I) स्थापना का वर्ष	:	....
	(II) वर्ष जब मुद्रण का कार्य प्रारम्भ किया गया	:	....
7.	जमा की गई ई.एम.डी. राशि		
	अ) ड्राफ्ट / बैंक गारन्टी सं.	:	....
	ब) बैंक विवरण	:	....
	स) राशि	:	....
8.	निविदा की वैधता की अवधि	:	....
9.	संलग्न सहायक दस्तावेजों का विवरण	:	....
10.	इस निविदा के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी / सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं पता	:	....
11.	क्या बोली सहभागिता में सम्मिलित होने के लिए प्राधिकारी का पत्र इस निविदा के साथ लगा हुआ है ?	:	....
12.	क्या पी.ए.एन. प्रमाण पत्र संलग्न है ?	:	....

13.	विक्रय / कर वैट रजिस्ट्रड सं.	:	....
14.	क्या कम्पनी के पास आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण है? यदि ऐसा है तो क्या तकनीकी बोली के साथ संलग्न है ?	:	....
15.	कम्पनी की कुल बिक्री	:	....
16.	मुद्रण कार्य के लिए उपलब्ध उपकरण तथा मशीनों की सूची	:	....
17.	योग्यता के साथ तकनीकी जनशक्ति	:	....
18.	पुस्तक के आवरण पृष्ठ तथा पाठ्य पृष्ठों की डिजाइनिंग, अभिन्यास तथा योजना बनाने वाले व्यवसायी / कर्मचारियों की योग्यता तथा अनुभव का विस्तृत विवरण	:	....
19.	पुस्तकों के मुद्रण के समान कार्यों में फर्म का अनुभव। सर्वश्रेष्ठ नमूना कार्य को संलग्न करें	:	....
20.	प्रमाण कि फर्म की अपनी मुद्रण सुविधा है / एक स्थापित संस्था के साथ एम.ओ.यू. है जो उनको मुद्रण सुविधा उपलब्ध करवाता है	:	....
21.	ऋण चुकाने की क्षमता का प्रमाण	:	....

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
फर्म की मोहर के साथ

दिनांक : ....
स्थान : ....

पिछले पांच वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक पूरे किये गये समान प्रकृति तथा परिमाण के कार्य

समान प्रकृति के कार्यों पर हाल ही के अनुभव का सारांश (अधिकतम 10 आइटमों तक)

क्र.सं.	कार्य का वर्णन	कार्य का मूल्य	संस्था का पता तथा दूरभाष सं. जिसके लिए कार्य किया गया है	नमूने संलग्न हाँ/नहीं
1	2	3	4	5

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)
फर्म की मोहर के साथ

आर्थिक प्रस्ताव

परिशिष्ट – 3

क्र. स.	आइटम	विशिष्टताएं	मात्रा	दी गई दरे (रुपये तथा शब्दों में)	
				दर प्रति पृष्ठ	कुल
1.	आवरण पृष्ट तथा हिन्दी पाठ्य पृष्ठों की डिजाइनिंग, अभिन्यास, योजना	▪ एकव्यवसायी के द्वारा पुस्तक के आवरण तथा मूल पृष्ठों की डिजाइनिंग, अभिविन्यास की आवश्यकता है ताकि वार्षिक हिन्दी पत्रिका तरूचिंतन को स्तरीयरुप दिया जा सके।	200 पाठयपृष्ठ तथा चार आवरण पृष्ठ		
2.	भा.वा.अ.शि.प. वार्षिक हिन्दी पत्रिका तरूचिंतन का मुद्रण संख्या 500	• आकार – A4 (रंगीन) • चार आवरण पृष्ठ तथा लगभग 200 पाठ्य पृष्ठ • भा.वा.अ.शि.प. वार्षिक हिन्दी पत्रिका तरूचिंतन विषयक पुस्तक की डिजाइनिंग, अभिन्यास, योजना तथा मुद्रण उच्चतम गुणवत्ता का होना चाहिए। आवरण पृष्ठ तथा पाठ्य भाग पृष्ठों के मुद्रण के लिए दरें अलग से उद्धत की जाए। • आयातित गैट पेपर 100 जी.एस.एम. पर पाठ्य पृष्ठ • आयातित मैट पेपर 300 जी.एस.एम. में आवरण पृष्ठ • आवरण पर लैमीनेशन • परफेक्ट बाईडिंग	1) पाठ्य पृष्ठ 2) आवरण		
3.	भा.वा.अ.शि.प. वार्षिक हिन्दी पत्रिका तरूचिंतन की सी.डी. उपलब्ध कराये	• वेब फारमेट (एम.एस. वर्ड/पी.डी.एफ. फारमेट अध्यायवार) • फाईल का अधिकतम आकार (2 एम. बी.) • वेब पर आसानी से देखे जाने योग्य	मास्टर सी.डी. सं. 1		
			कुल योग्य		

कुल ....शब्दों में

नोट

I) दी गई दरें सभी करों सहित होंगी।

II) वार्षिक हिन्दी पत्रिका तरूचिंतन के लिए बिल वास्तविक पृष्ठों की संख्या के आधार पर गिना जायेगा क्योंकि पृष्ठों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

III) एक अंतिम रंगीन प्रारूप सहायक महानिदेशक (मीडिया एवं विस्तार) को उपलब्ध करवाया जायेगा तथा उसके अनुमोदन के पश्चात् ही प्रकाशन का मुद्रण किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म की मोहर के साथ

स्थान : ....

दिनांक : ....